अध्याय।

'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एमईआईएस) और 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) का विहंगावलोकन

1 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20, 'मेक इन इंडिया' विजन के साथ देश में निर्यात बढ़ाने,रोजगार पैदा करने और मूल्य वृद्धि में बढ़ोतरी के लिए एक प्रारूप प्रदान करती है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य 'व्यापार करने में आसानी' में सुधार करने पर विशेष बल देते हुए निर्माण और सेवा क्षेत्रों दोनों को सहायता प्रदान करना है।

1 अप्रैल 2015 से लागू एफटीपी के तहत सरलीकरण की दिशा में एक प्रमुख पहल दो नई योजनाओं की, नामत: 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एमईआईएस) को पहली पांच योजनाओं[2] को विलय करके और 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस) को सेर्वेड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) से प्रतिस्थापित कर शुरुआत की गई

1.1 योजनाएं

(i) 'मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एमईआईएस)

एमईआईएस को भारत में निर्मित/उत्पादित अधिसूचित माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। यह योजना अपने दायरे में अधिक से अधिक उत्पादों को लाकर प्रोत्साहनों को पुनर्गठित करने का लक्ष्य रखती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मात्रा में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। एमईआईएस, जो 4914 टैरिफ लाइनों के साथ शुरू हुआ, वर्तमान में 8315 टैरिफ लाइनों को कवर करता है।

एमईआईएस योजना के तहत अलग-अलग देशों के लिए निर्धारित फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) निर्यात के मूल्य का 2 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक दरों पर स्क्रिप्स जारी किये गये हैं। शुल्क स्क्रिप्स के रूप में जारी किये गये प्रोत्साहनों को सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/सेवा कर/जीएसटी सहित कई शुल्क/कर के भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

[2] 1) फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस), (2) फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस), (3) विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (4) मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एमएलएफपीएस) और (5) कृषि बुनियादी ढांचा प्रोत्साहन स्क्रिप्स

एमईआईएस के अंतर्गत कवर किये गये मुख्य उत्पाद समूह हैं: कृषि और ग्रामीण उद्योग उत्पाद, औषधीय उत्पाद, कपड़ा और वस्त्र, विद्यत और विद्युत उत्पाद और ऑटो मोबाईल्स।

(ii) 'सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम' (एसईआईएस)

एसईआईएस , अर्जित निवल विदेशी विनिमय (एनएफई) के 3 प्रतिशत या 5 प्रतिशत पर प्रतिफल का प्रस्ताव देते हुए योग्य सेवा निर्यात के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। एसईआईएस के अंतर्गत दो प्रकार की गई सेवाएं योग्य हैं यानी भारत से बाहर निर्यात की गई सेवाएं और भारत में विदेशी उपभोक्ता को प्रदत्त सेवाएं । यह योजना 'भारतीय सेवा प्रदाताओं', जो पहले की नीति में रही है, के बजाय भारत में स्थित 'सेवा प्रदाताओं' को शामिल करती है। इस योजना के अंतर्गत जारी किये गये प्रोत्साहन स्क्रिप्स पूर्णत: हस्तांतरण योग्य है। एसईआईएस लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) यूनिट को भी दिये गये हैं।

1.2 सांख्यिकीय विहंगावलोकन

वित्तीय वर्ष 2014-15 (वि.व.15) से वि.व.19 की पिछली पांच वर्षों की अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए प्रदान किए गए रिवार्ड्स के विश्लेषण से पता चला कि प्रोत्साहन राशि के रूप में माफ की गई राशि 19,031 करोड़ से बढ़कर 44,305 करोड़ हो गई। एमईआईएस और पूर्ववर्ती योजनाओं के अंतर्गत विदेशी विनिमय के अर्जन के लिए यथानुपात कर व्यय वि.व. 15 में 3.15 प्रतिशत से 2018-19 में 3.14 प्रतिशत तक कम हो गया। एसईआईएस योजना के लिए यथानुपात कर व्यय की गणना नहीं की जा सकी चूंकि वि.व. 16 और पूर्ववर्ती योजना (एसएफआईएस) के लिए एसईआईएस योजना (स्क्रिप्स, शुल्क क्रेडिट और निर्यात के एफओबी मूल्य) के विवरण विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट में नहीं दिये गये थे। जारी किये गये स्क्रिप्स की संख्या भी विव 15 में 1.82 लाख से वि.व 19 में 3.09 लाख तक बढ़ा, जैसा कि नीचे **तालिका 1** में दर्शाया गया है:

तालिका 1: वि.व. 15 से वि.व. 19 के दौरान प्रदत्त रिवॉर्ड का विवरण

विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्क्रिप्स, ड्यूटी क्रेडिट, निर्यात के एफओबी मूल्य की संख्या						
वर्ष	**मापदंड**	**वि.व. 15**	**वि.व. 16**	**वि.व. 17**	**वि.व. 18**	**वि.व. 19**
पहले से मौजूद पांच योजनाएं	स्क्रिप्स की सं.	180002	123858	32053	9250	4159
	ड्यूटी क्रेडिट	17731	11028	2337	702	550
	एफओबी (₹ करोड़ में)	562589	334247	64687	21268	20775
एमईआईएस	स्क्रिप्स की सं.		31375	159446	218402	298350
	स्क्रिप्स का मूल्य (₹ करोड़ में)		4104	18117	25994	39298
	एफओबी (₹ करोड़ में)		138014	688473	978286	1246772
एमईआईएस और पूर्ववर्ती योजनाओं का कुल	स्क्रिप्स की संख्या	180002	155233	191499	227652	302509
	स्क्रिप्स का मूल्य (₹ करोड़ में)	17731	15132	20454	26696	39848
	एफओबी (₹ करोड़ में)	562589	472261	753160	999554	1267547
एफओबी से स्क्रिप मूल्य का अनुपात		***3.15***	***3.2***	***2.72***	***2.67***	***3.14***
साल दर साल एफओबी से स्क्रिप मूल्य के अनुपात		***(-) 12.25***	***(+) 1.58***	***(-) 15.00***	***(-) 1.83***	***(+) 17.60***
एसएफआईएस	स्क्रिप्स की संख्या	1984	2072	1423	751	259
	ड्यूटी क्रेडिट (₹ करोड़ में)	1300	1126	1252	309	194
	एफओबी (₹ करोड़ में)	***डीजीएफटी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं***				
एसईआईसी	स्क्रिप्स की संख्या		0	1368	5569	6376
	ड्यूटी क्रेडिट (₹ करोड़ में)		0	561	3475	4263
	एफओबी (₹ करोड़ में)		0	167172	1587379	1372212
एसएफआईएस और एसईआईएस का कुल	*स्क्रिप्स की संख्या*	1984	2072	*2791*	*6320*	*6635*
	स्क्रिप्स का मूल्य (₹ करोड़ में)	1300	1126	*1813*	*3784*	*4457*
	एफओबी (₹ करोड़ में)	***डीजीएफटी रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं***				
कुल योग	**स्क्रिप्स की संख्या**	**181986**	**157305**	**194290**	**233972**	**309144**
	स्क्रिप्स का मूल्य (₹ करोड़ में)	**19031**	**16258**	**22267**	**30480**	**44305**
	एफओबी (₹ करोड़ में)	**562589**	**472261**	**920332**	**2586933**	**2639759**

स्त्रोत: एक्सपोर्ट प्रोमोशम स्कीम 2019 पर डीजीएफटी एमआईएस रिपोर्ट

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 1 से देखा जा सकता है, वि.व. 17 (23.51 प्रतिशत), वि.व. 18 (20.42 प्रतिशत) और वि.व. 19 (32.12 प्रतिशत) के दौरान स्क्रिप्स की संख्या में सतत् वृद्धि हुई थी यद्यपि वि.व. 16 में योजनाओं के आरंभ होने के प्रथम

वर्ष में स्क्रिप्स की संख्या में कमी आई थी। वि.व. 17 में जारी किये गये स्क्रिप्स की तुलना के साथ वि.व. 18 में एमईआईएस/एसईआईएस के अंतर्गत जारी किये गये स्क्रिप्स के रूप में उच्च 8 प्रादेशिक प्राधिकरणों (आरए) को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

चित्र 1: वि.व. 17 और वि.व. 18 के दौरान मुख्य आरए द्वारा जारी किये गये एमईआईएस / एसईआईएस स्क्रिप्स

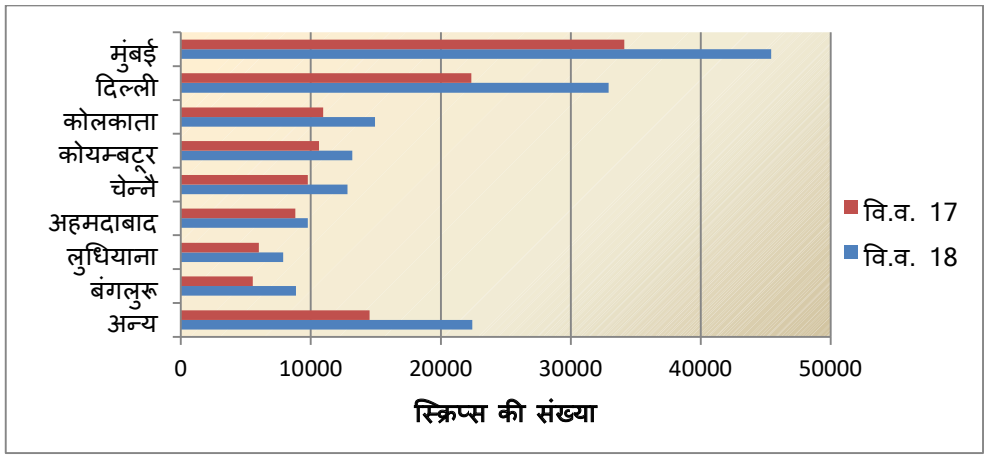

आरए मुंबई ने वि.व. 18 और वि.व. 19 के दौरान सबसे अधिक एमईआईएस/एसईआईएस स्क्रिप्स जारी किए हैं, जिसका लेखांकन कुल स्क्रिप्स का 20.8 प्रतिशत है तथा इसके बाद दिल्ली (15.07 प्रतिशत), कोलकाता (6.85 प्रतिशत), कोयम्बटूर (6.03 प्रतिशत) और चेन्नई (5.87 प्रतिशत) पर हैं ।

1.3 एमईआईएस और एसईआईएस के अंतर्गत निर्यात प्रदर्शन

1.3.1 निर्यात प्रदर्शन और स्क्रिप्स द्वारा छोड़ा गया शुल्क

वि.व.15 से वि.व.18 तक विगत चार वर्षों में यूएस बिलीयन डॉलर्स में व्यापार और सेवा का निर्यात प्रदर्शन नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

चित्र 2. व्यापारिक सामान और सेवाओं का अखिल भारतीय निर्यात

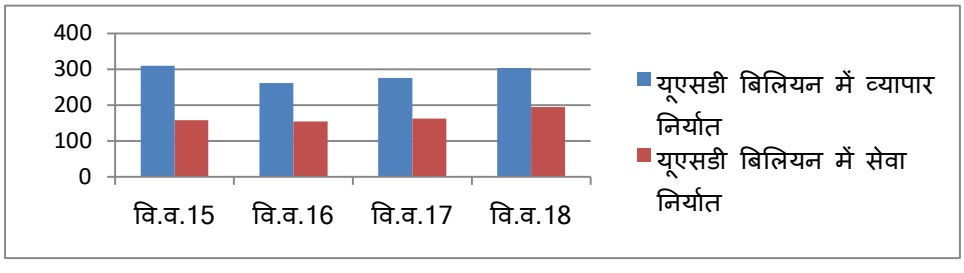

स्त्रोत: dashboard.commerce.gov.in

चित्र 3: निर्यात की वृद्धि दर

वि.व. 16 में कमी आने के बाद, वि.व. 17 और वि.व. 18 के दौरान व्यापार और सेवा के निर्यात में सुधार हुआ।

चित्र 4: व्यापार के निर्यात के सापेक्ष क्षमा किया गया शुल्क

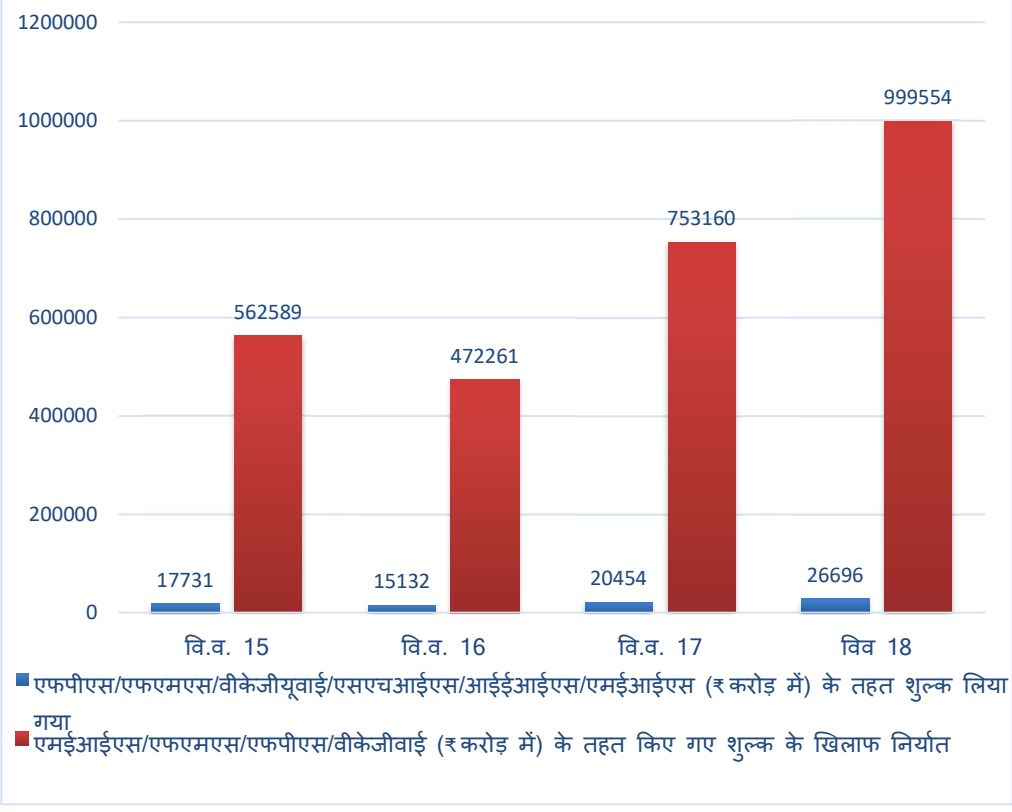

स्त्रोत: एक्सपोर्ट प्रोमोशम स्कीम *2017 पर एमआईएस रिपोर्ट*

व्यापार के निर्यात में वृद्धि की प्रतिशतता वि.व. 17 में 59.47 प्रतिशत और वि.व. 18 में 32.71 प्रतिशत थी। वर्ष दर वर्ष वृद्धि में कमी केवल वि.व. 16 अर्थात एमईआईएस प्रारंभ करने के वर्ष में हुई थी।

चित्र 5: एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत सीमा शुल्क पावती की तुलना में छोड़ा गया शुल्क

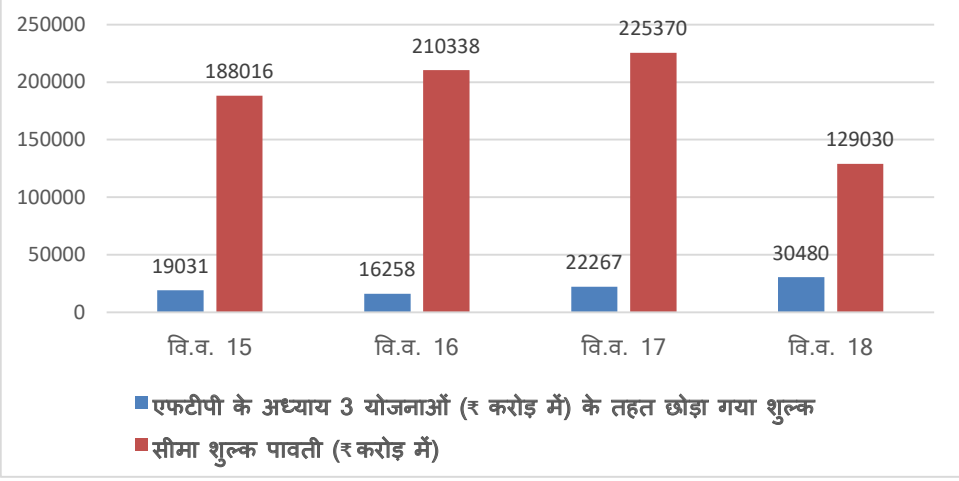

स्त्रोत: एक्सपोर्ट प्रोमोशम स्कीम *2017 पर एमआईएस रिपोर्ट और पावती बजट*

चित्र 6: अध्याय 3 के अंतर्गत सीमा शुल्क पावती की तुलना में दिये गये शुल्क की वृद्धि दर

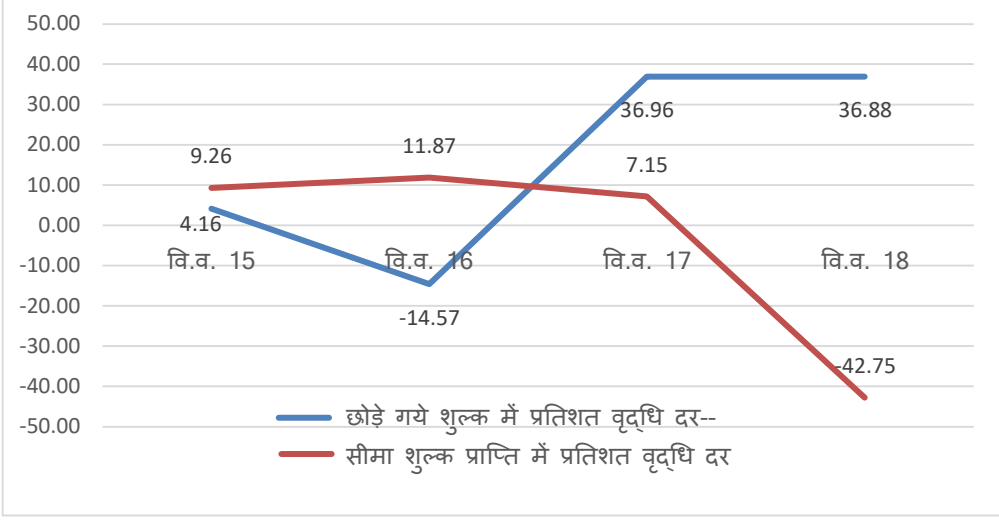

एफ़टीपी के अध्याय 3 के तहत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के प्रत्येक एक बिलियन यूएसडी के निर्यात पर सेवाओं और व्यापार के लिए ड्यूटी छूट क्रमश : ₹ 11.82 करोड़ और ₹ 61.18 करोड़ आंका गया ।

1.3.2 कुल निर्यात में एमईआईएस का भाग

वि.व. 16 से वि.व. 18 अवधि के दौरान सीमा शुल्क दर के विभिन्न भागों के अंतर्गत सामान के निर्यात के लिए एमईआईएस दावों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सीमा शुल्क दर के सभी भागों के अंतर्गत एमईआईएस के दावे में वृद्धि दर्ज की गई। कुल निर्यात के एमईआईएस के अंतर्गत किये गये औसतन निर्यात प्रतिशत में वि.व. 16 में 11.83 प्रतिशत से वि.व. 18 में 52.93 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वि.व. 17 और वि.व. 18 के दौरान अध्याय 15 (पशु या वनस्पति वसा और तेल) और अध्याय 71 (मोती, महंगे पत्थर/धातु, जैम्स और आभुषण) के अंतर्गत एमईआईएस दावे इनकी संबंधित निर्यात मात्रा की तुलना में नगण्य थे **(परिशिष्ट 1)**।

1.3.3 हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को एमईआईएस लाभ का विश्लेषण

ग्रामीण और लघु स्तर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की एमईआईएस दरों में वृद्धि की (नवंबर 2017)। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कुल हस्तशिल्प निर्यात की तुलना में एमईआईएस के अंतर्गत कवर किये गये हस्तशिल्प निर्यात के प्रतिशत में 5.55 प्रतिशत से 29.34 प्रतिशत की पांच गुणा वृद्धि हुई थी जैसा कि नीचे **तालिका 2** में दर्शाया गया है। अब भी इस क्षेत्र में उपलब्ध कराये गये उच्चतर एमईआईएस दरों के बावजूद, निर्यात किये जा रहे हस्तशिल्प मदों का 70 प्रतिशत जितना बड़ा भाग एमईआईएस के दायरे से बाहर है।

तालिका 2: हस्तशिल्प निर्यात

वर्ष	हस्तशिल्प निर्यात का मूल्य (हाथ से बनाये गये गलीचे के अतिरिक्त) (₹ करोड़ में)	एमईआईएस के अंतर्गत दावा किये गये हस्तशिल्प के निर्यात का मूल्य (₹ करोड़ में)[3]	एमईआईएस के अंतर्गत रिवॉर्ड के लिए दावा किये गये निर्यात की प्रतिशतता
वि.व. 16	21557.12[4]	1197.88	5.55
वि.व. 17	24392.39	6243.28	25.60
वि.व.18	23029.36	6732.96	29.34

[3] डीजीएफटी नईदिल्ली द्वारा उपलब्ध कराया गया एमईआईएस डेटा।

[4] स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के डेटा से निर्यात डेटा और विदेश व्यापार महानिदेशक, नई दिल्ली से प्राप्त एमईआईएस के तहत निर्यात के दावे का आकड़ा।

तालिका 3 में दर्शाए गए हथकरघा श्रेणी के तहत इसी तरह के विश्लेषण से पता चला है कि एमईआईएस इनाम के लिए हथकरघा निर्यात के तहत किए गए निर्यात का मूल्य वि.व.18 में 15.52 प्रतिशत से बढ़कर 60.08 प्रतिशत हो गया है, जिसमें लगभग 40 प्रतिशत निर्यात एमईआईएस इनाम[5] से बाहर है।

तालिका 3: हथकरघा निर्यात

वर्ष	हथकरघा निर्यात का मूल्य[6] (₹ करोड़ में)	एमईआईएस के अंतर्गत दावा किये गये हथकरघा निर्यात का मूल्य (₹ करोड़ में)[7]	दावा किये गये निर्यात का प्रतिशत
वि.व. 16	2353.33	365.23	15.52
वि.व. 17	2392.21	1106.04	46.24
वि.व. 18	2280.19	1370.03	60.08

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य अग्रलिखित थे:

(i) एमईआईएस और एसईआईएस स्क्रिप्स के जारी करने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए आरंभ किये गये सुविधा उपायों की सफलता की जांच करना,

(ii) डीजीएफटी की इलेक्ट्रॉनिक सुचना का आदान प्रदान (इडीआई) प्रणाली में योजनाओं के नियम और प्रक्रियाओं के प्रभावी लिंकेज की जांच करना,

(iii) यह जांच करना कि क्या आंतरिक नियंत्रण उपाय सरलीकरण और स्वचालन के वातावरण में राजस्व घाटे के जोखिम,दुरूपयोग और धोखाघड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त थे।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा कवरेज, लेखापरीक्षा मानदंड और लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि हेतु रिकॉर्ड और संव्यवहारों को कवर किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा डीजीएफटी और इसके

[5] हथकरघा वस्तुओं के अंतर्गत कुल 32 सीटीएच कवर किये (परिशिष्ट 3B)

[6] वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद का निर्यात आंकड़ा।

[7] डीजीएफटी नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए एमईआईएस डेटा।

प्रादेशिक प्राधिकरण (आरए), संबंधित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के अंतर्गत सीमा शुल्क विन्यास क्षेत्र कवर किये गये हैं।

लेखापरीक्षा कवरेज

अप्रैल 2015 से अक्तूबर 2018 की अवधि के लिए डीजीएफटी से प्राप्त संपूर्ण भारत के डेटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 36 प्रादेशिक प्राधिकरण (आरए) और एसईजेड के 9 विकास आयुक्तों (डीसी) द्वारा ₹ 76,416 करोड़ राशि के 5,94,653 (5,84,650 एमईआईएस और 10,003 एसईआईएस) स्क्रिप्स जारी किये गऐ थे।

संपूर्ण भारत के डेटा के विश्लेषण के अतिरिक्त,वर्तमान मैन्यूअल प्रक्रियाओं के मद्देनजर, डीसी कार्यालयों और आरए द्वारा संयुक्त किये मैन्यूल नियंत्रण की जांच के लिए, 25 आरए (कुल आरए का 66 प्रतिशत) और 7 डीसी कार्यालयों (कुल डीसी कार्यालयों का 77 प्रतिशत) का नमूना इस लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। इन 32 इकाईओं में ₹ 72,743 करोड़ की राशि वाले 5,53,726 (5,43,803 एमईआईएस और 9,923 एसईआईएस) स्क्रिप्स कवर किये गये थे। मूल्य और संख्या के रूप में 32 चयनित इकाईयों द्वारा हैंडल किये गये स्क्रिप्स की प्रतिशतता क्रमश: 95.19 और 93.12 **(परिशिष्ट 2)** आंकी गई थी।

इसके अतिरिक्त,इन चयनित इकाईयों में कुल स्क्रिप्स का 1.7 प्रतिशत दर्शाते हुए 6,205 स्क्रिप्स (5747 एमईआईएस स्क्रिप्स और 458 एसईआईएस स्क्रिप्स) का विस्तृत जांच के लिए चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों का भी चयन किया था जहां पर इन नमूना स्क्रिप्स से संबंधित निर्यात भी प्रभावित हुये थे **(परिशिष्ट 3)** ।

संपूर्ण भारत के डेटा पर किये गये डेटा विश्लेषण के परिणाम और चयनित इकाईयों में की गई नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष और नमूना प्राप्त स्क्रिप्स रिपोर्ट में उचित ढंग से शामिल किये गये थे।

लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष के बैंचमार्क के लिए मानदंड के रूप में लागू अधिनियम, मैन्यूल, नियम, सरकारी अधिसूचनाओं के प्रासंगिक प्रावधान प्रयोग किये। महत्वपूर्ण प्रावधानों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- विदेश व्यापारी नीति (एफटीपी) 2015-20,
- प्रक्रियाओं की हैंडबुक (एचबीपी) और इसके परिशिष्ट और फार्म,
- डीजीएफटी द्वारा जारी किये गये सार्वजनिक सूचना/परिपत्र,

- एमईआईएस और एसईआईएस पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की अधिसूचनाएं और परिपत्र, जिन्हें समय-समय पर जारी किया गया था और लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा कार्य पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के दिशानिर्देशों का प्रयोग करते हुए और सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 में निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र के अंतर्गत यह निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में फाईलों की डैस्क समीक्षा, डेटा का संग्रहण और डेटा विश्लेषण, स्क्रिप्स फाइलों की नमूना जांच, एमईआईएस और एसईआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के लाभ प्राप्त करते हुए आयात पत्र (आयात) शामिल होते हैं।